

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 154] No. 154] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12 1938

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

# अधिसूचना

मुंबई, 3 मार्च, 2017

सं.फेमा. 385/2017-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.नि. 188 (अ).— भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

# संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दुसरा संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

# 2. विनियमों में संशोधन

ए. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, *विनियम 5 के मौजूदा उप-*

विनियम (9) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

1203 GI/2017 (1)

"5(9) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक से भिन्न) अथवा भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी (पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंटिटी से भिन्न) जो कि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अथवा विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक नहीं है, या तो पूंजीगत अंशदान के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों (LLP) के पूंजीगत ढांचे में शेयरों से प्राप्त लाभार्जन के अधिग्रहण/ अंतरण के जरिए योगदान करते हुए विदेशी निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि अनुसूची 9 में दी गई शर्तों का अनुपालन किया जाए।"

बी. अनुसूची 9 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

# "अनुसूची 9 [कृपया विनियम 5(9) देखें]

यह योजना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI-LLP) की योजना कहलायेगी।

# 1. पात्र निवेशक:

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक से भिन्न) अथवा भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी (पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंटिटी से भिन्न) जो कि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (RFPI) अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अथवा विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक नहीं है, पूंजीगत अंशदान के माध्यम से अथवा सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों (LLP) के पूंजीगत ढांचे में शेयरों से प्राप्त लाभार्जन के अधिग्रहण/ अंतरण के जरिए योगदान करते हुए विदेशी निवेश कर सकते हैं।

# 2. पात्र निवेश

किसी एलएलपी (LLP) की पूंजी में अंशदान इस योजना के अंतर्गत पात्र निवेश होगा। नोट: 'शेयरों का लाभार्जन' (profit share) के द्वारा किया गया निवेश अर्जन के पुनर्निवेश की श्रेणी में आयेगा।

# 3. एलएलपी (LLP) की पात्रता

एलएलपी (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमित निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए ऐसी एलएलपी (LLP) पात्र होगी जो उन क्षेत्रों/ गतिविधियों में परिचालन करती है, जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है और एफ़डीआई संबंधी कार्यनिष्पादन की शर्तें लागू नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों का सुनिश्चय करने के लिए, इन विनियमों की अनुसूची 1 का अनुबंध 'बी' देखें।
- (ii) कोई भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी (LLP), जिसके पास विदेशी निवेश है, उसे किसी ऐसी कंपनी अथवा एलएलपी (LLP) में डाऊनस्ट्रीम निवेश करने की अनुमित है, जो उन क्षेत्रों/ गतिविधियों में परिचालन करती है, जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है और एफ़डीआई संबंधी कार्यनिष्पादन की शर्तें लागू नहीं हैं। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व उस भारतीय कंपनी / एलएलपी (LLP) पर होगा जो डाऊनस्ट्रीम निवेश स्वीकृत करती है।
- (iii) एलएलपी (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की शर्तों के अधीन होगा।

(iv) कोई कंपनी, जिसके पास विदेशी निवेश है, वह स्वचालित मार्ग के तहत एलएलपी (LLP) में तभी परिवर्तित हो सकती है, यदि वह उन क्षेत्रों से संलग्न है, जिनमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है और एफ़डीआई संबंधी कार्यनिष्पादन की शर्तें लागू नहीं हैं।

# 4. कीमत निर्धारण

पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों के लाभार्जन अंतरण के मार्फत एलएलपी (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हेतु कीमत निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गयी प्रणाली/ बाज़ार व्यवहार के अनुसार स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार आकलित उचित मूल्य से अधिक अथवा उसके समान होगा (इसे इसके पश्चात "पूंजी अंशदान का उचित मूल्य / एलएलपी का शेयर लाभार्जन" कहा गया है।) और इस आशय का प्रमाणपत्र किसी सनदी लेखाकार अथवा पेशेवर कॉस्ट एकाउंटेंट अथवा केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा।

किसी निवासी से किसी अनिवासी को पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभार्जन के अंतरण के मामले में, एलएलपी के पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभार्जन के लिए प्रतिफल 'उचित मूल्य' के समान अथवा उससे अधिक होगा। इसके अलावा, किसी अनिवासी से निवासी को पूंजी अंशदान/ शेयर- लाभार्जन के अंतरण हेतु प्रतिफल एलएलपी के पूंजी अंशदान/ शेयर- लाभार्जन के उचित मूल्य से कम अथवा समान होगा।

# 5. भुगतान का तरीका

निवेशक द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान के लिये भुगतान निम्न तरीके से किया जाएगा :

- (i) बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण के रूप में ; अथवा
- (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार संबंधित व्यक्ति के किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते को डेबिट करके।

# 6. रिपोर्टिंग

- (i) LLP में किए गए विदेशी निवेश और निवासी और अनिवासियों के बीच पूंजी में अंशदान तथा शेयर-लाभार्जन के विनिवेश/अंतरण संबंधी रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित तरीके से की जाएगी।
- (ii) चालू वर्ष सिहत पिछले वर्ष (वर्षों) में विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली सभी एलएलपी (LLP's) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित "विदेशी देयताओं और संपत्ति संबंधी वार्षिक विवरणी" नामक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने की 15 तारीख को या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करनी होंगी।

[फा. सं. 1/3/ईएम/2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी: मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा. का. नि.सं. 406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा. का. नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा. का. नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा. का. नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा. का. नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा. का. नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा. का. नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा. का. नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

सा. का. नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

सा. का. नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

सा. का. नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

सा. का. नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

सा. का. नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

सा. का. नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004

सा. का. नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004

सा. का. नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004

सा. का. नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005

सा. का. नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005

सा. का. नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

सा. का. नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

सा. का. नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

सा. का. नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005

सा. का. नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006

सा. का. नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006

सा. का. नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007

सा. का. नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007

सा. का. नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007

सा. का. नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008

सा. का. नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008

सा. का. नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009

सा. का. नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010

सा. का. नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012

सा. का. नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012

सा. का. नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012

सा. का. नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012

सा. का. नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012

- सा. का. नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
- सा. का. नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
- सा. का. नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
- सा. का. नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
- सा. का. नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
- सा. का. नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
- सा. का. नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
- सा. का. नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
- सा. का. नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
- सा. का. नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
- सा. का. नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
- सा. का. नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
- सा. का. नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
- सा. का. नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
- सा. का. नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
- सा. का. नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
- सा. का. नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
- सा. का. नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
- सा. का. नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
- सा. का. नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
- सा. का. नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
- सा. का. नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
- सा. का. नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
- सा. का. नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
- सा. का. नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
- सा. का. नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
- सा. का. नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
- सा. का. नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
- सा. का. नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
- सा. का. नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
- सा. का. नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
- सा. का. नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
- सा. का. नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
- सा. का. नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
- सा. का. नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
- सा. का. नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
- सा. का. नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015

- सा. का. नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
- सा. का. नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
- सा. का. नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
- सा. का. नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
- सा. का. नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
- सा. का. नि. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
- सा. का. नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
- सा. का. नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
- सा. का. नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
- सा. का. नि. सं. 465(अ) दिनांक 28.04.2016
- सा. का. नि. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
- सा. का. नि. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016
- सा. का. नि. सं. 1002(अ) दिनांक 24.10.2016
- सा. का. नि. सं. 1003(अ) दिनांक 24.10.2016
- सा. का. नि. सं. 1015(अ) दिनांक 27.10.2016
- सा. का. नि. सं. 1042(अ) दिनांक 04.11.2016
- सा. का. नि. सं. 1118(अ) दिनांक 07.12.2016
- सा. का. नि. सं. 17(अ) दिनांक 10.01.2017

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd March, 2017

## No. FEMA. 385/2017-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2017

**G.S.R. 188** (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

## 1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. Amendment of the Regulations

A. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulation 5, for the existing sub-regulation (9), the following shall be substituted, namely:

"5 (9) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity in Pakistan or Bangladesh), not being a Foreign Portfolio Investor or Foreign Institutional Investor or Foreign Venture Capital Investor registered in accordance with SEBI guidelines, may contribute foreign capital either by way of capital contribution or by way of acquisition / transfer of profit shares in the capital structure of an LLP under Foreign Direct Investment, subject to the terms and conditions as specified in Schedule 9"

B. Schedule 9 shall be substituted, namely

# "Schedule 9 [See Regulation 5 (9)]

The Scheme shall be called Foreign Direct Investment (FDI-LLP) in Limited Liability Partnerships (LLP) formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008.

## 1. Eligible Investors:

A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity in Pakistan or Bangladesh), not being a Foreign Portfolio Investor or Foreign Institutional Investor or Foreign Venture Capital Investor registered in accordance with SEBI guidelines, may contribute foreign capital either by way of capital contribution or by way of acquisition / transfer of profit shares in the capital structure of an LLP.

## 2. Eligible investment

Contribution to the capital of an LLP would be an eligible investment under the scheme.

Note: Investment by way of 'profit share' will fall under the category of reinvestment of earnings

#### 3. Eligibility of a LLP

FDI in LLPs is permitted, subject to the following conditions:

- i. FDI is permitted under the automatic route in LLPs operating in sectors / activities where 100% FDI is allowed through the automatic route and there are no FDI linked performance conditions. For ascertaining such sectors, reference shall be made to **Annex B to Schedule 1 of these Regulations**
- ii. An Indian company or an LLP, having foreign investment, will be permitted to make downstream investment in another company or LLP engaged in sectors in which 100% FDI is allowed under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions. Onus shall be on the Indian company / LLP accepting downstream investment to ensure compliance with the above conditions.
- iii. FDI in LLP is subject to the compliance of the conditions of Limited Liability Partnership Act, 2008.
- iv. A company having foreign investment can be converted into an LLP under the automatic route only if it is engaged in a sector where foreign investment up to 100 percent is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions.

### 4. Pricing

FDI in a LLP either by way of capital contribution or by way of acquisition / transfer of profit shares, would have to be more than or equal to the fair price as worked out with any valuation norm which is internationally accepted / adopted as per market practice (hereinafter referred to as "fair price of capital contribution / profit share of an LLP") and a valuation certificate to that effect shall be issued by the Chartered Accountant or by a practicing Cost Accountant or by an approved valuer from the panel maintained by the Central Government. In case of transfer of capital contribution / profit share from a resident to a non-resident, the transfer shall be for a consideration equal to or more than the fair price of capital contribution / profit share of an LLP. Further, in case of transfer of capital contribution / profit share from a non-resident to resident, the transfer shall be for a consideration which is less than or equal to the fair price of the capital contribution / profit share of an LLP.

#### 5. Mode of payment

Payment by an investor towards capital contribution in LLPs shall be made:

- (i) by way of inward remittance through banking channels; or
- (ii) by debit to NRE/FCNR(B) account of the person concerned, maintained with an AD Category-I bank in accordance with Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, as amended from time to time.

# 6. Reporting

- (i) Reporting of foreign investment in LLPs and disinvestment/transfer of capital contribution or profit shares between a resident and a non-resident may be made in a manner as prescribed by Reserve Bank of India from time to time.
- (ii) All LLPs which have received Foreign Direct Investment in the previous year(s) including the current year shall submit to the Reserve Bank of India, on or before the 15th day of July of each year, a report titled 'Annual Return on Foreign Liabilities and Assets' as specified by the Reserve Bank from time to time."

[F. No. 1/3/EM/2016]

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001

G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002

G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002

G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003

G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003

G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004

G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004

G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004

G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004

G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004

G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005

G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005

G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005

G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005

G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005

G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005

G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006

G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006

G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007

G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007

G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008

G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008

G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009

G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010

G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012

G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012

G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012

G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012

G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013

G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

- G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
- G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
- G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
- G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
- G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
- G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
- G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
- G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
- G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
- G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
- G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
- G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
- G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
- G.S.R.No. 189(E) dated 19.03.2014
- G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014
- G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
- G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
- G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014
- G.S.R.No. 371(E) dated 30.05.2014
- G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
- G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
- G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
- G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
- G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
- G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
- G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
- G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
- G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
- G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
- G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
- G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
- G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
- G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
- G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
- G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
- G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015 G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016
- G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016

G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016

G.S.R.No. 465 (E) dated 28.04.2016

G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016

G.S.R.No. 879 (E) dated 09.09.2016

G.S.R.No. 1002 (E) dated 24.10.2016

G.S.R.No. 1003 (E) dated 24.10.2016

G.S.R.No. 1015 (E) dated 27.10.2016

 $G.S.R.No.\ 1042\ (E)\ dated\ \ 04.11.2016$ 

G.S.R.No. 1118 (E) dated 07.12.2016

G.S.R.No. 17 (E) dated 10.01.2017